न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /27/2015

ओमप्रकाश उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व. ख्यालीराम जाति जाट निवासी गद्दी की आरा मशीन के पीछे सेवर कलां तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1—जलश्री पत्नि स्व. नारायणसिंह (मृतक)

1/1—सुनीता उम्र 43 वर्ष पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि पुष्करसिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/2—अनीता उम्र 42 वर्ष पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि शैलेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई ।

1/3—राजेश वर्ष 40 पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि रोहिताश सिंह जाति जाट निवासी निवासी पाऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1/4—कमलेश उम्र 38 वर्ष पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि अतरसिंह जाति जाट निवासी पाऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1/5—मनिन्दर सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. नारायणसिंह जाति जाट निवासी गद्दी की आरा मशीन के पीछे सेवर कलां तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय नायव तहसीलदार भरतपुर दिनांक 14.12.2000 बाबत नामान्तकरण संख्या 526 ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर

———

उपस्थितः—

1— श्री महाराजसिंह डांगुर,अभिभाषक अपीलान्ट,

2— श्री पंकज कुमार, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक 12.03.2025

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश नायव तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 526 दिनांक 14.12.2000 ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 526 दिनांक 14.12.2000, नारायण सिंह पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी कवई की विरासत का दर्ज किया जाकर नायव तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण आदेश के खिलाफ अपीलान्ट ने व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2015 को पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। उभय पक्ष की लिखित बहस शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस कथन किया है कि खरीद शुदा आराजी खसरा नम्बर 1829/0.13 स्थित ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर में अपीलार्थी एवं स्व0नारायण सिंह समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज रहे है यह आराजी सयुंक्त रुप से सयुंक्त परिवार की सम्पत्ति से खरीदी गयी है इन्द्राज खातेदारी स्व0 नारायण सिंह के नाम कतई गलत रहे हैं कर्ता खानदान की हैसीयत से रहे हैं। तहत न्यायालय ने मौके की जांच किये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो गलत है। नामान्तकरण एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिसमें राईट तय नहीं होते हैं इस प्रस्तुत नामान्तकरण को नियमित वाद के तय होने तक स्थगित रखा जाना चाहिये था क्यों कि मूल दावा से ही अधिकारों का निस्तारण होता है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत है। अपीलार्थी का मृतक नारायण सिंह के साथ निस्फ का हिस्सा है यानि खरीदे गये 1/2 हिस्सा में अपीलार्थी व स्व. नारायणसिंह समंभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज रहे हैं, यह आराजी हिस्सा 1/2 हम दोनों ने ही खरीदा है इसलिये स्व0 नारायणसिंह के हक में स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण कतई गलत दर्ज किया है जो निरस्तनीय है। मौके पर विवादित आराजी पर भूखण्ड पर आधे पर अपीलार्थी व आधे पर स्व. नारायणसिंह का सयुंक्त रुप से कब्जा रहा है जो सयुंक्त रुप से काबिज चले आ रहे हैं। अपीलार्थी व स्व0 नारायणसिंह सयुंक्त परिवार से क्रय व धन से यह भूखण्ड खरीदा है इसका विभाजन का दावा भी न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष विचाराधीन है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत व निरस्तनीय है। उक्त भूखण्ड का मौके पर गैंतो के रुप में दोनों पक्षों द्वारा उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं रही थी अब दिनांक 13.7.2015 को पटवारी हल्का के द्वारा बतलाने पर हुई थी। दिनांक 14.7.2015 को नकल आदेश मिला है और अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। फिर भी धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पृथक से पेश किया है। विवादित आराजी में अपीलार्थी 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज है इसलिये आदेश तहत से परिवेदित है इसके बने रहने से अपीलार्थी के अधिकार विपरीत रुप से प्रभावित होते हैं इसलिये उसके द्वारा यह अपील पेश की गई है। विवादित आराजी में 1/2 हिस्से पर अपीलार्थी का वास्तविक कब्जा है कथित नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व भी तहत न्यायालय ने मौके पर कब्जे बावत कोई भी जॉच नहीं गई है, दाखिल खारिज तय करने से पूर्व कब्जा अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है ऐसा नहीं कर तहत न्यायालय ने नियमों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक ने बताया

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। विवादित आराजी बैयनामा के द्वारा क्रय की गई है, दोनों भाईयों के सयुंक्त धन व श्रम से अर्जित सम्पत्ति से खरीदी गई है इसके अलावा विक्रय पत्र नारायणसिंह के नाम बडा भाई होने के नाते कराया है इस बिन्दु पर भी जांच नहीं कर तहत न्यायालय ने गलती की है। अपीलार्थी एवं उसका भाई नारायनसिंह नया गांव माफी तहसील वैर जिला भरतपुर की जायदाद को विक्रय करके सेवर आये थे और यहॉ सेवर में उनकी उक्त सयुंक्त धन राशि से विवादित आराजी एक अन्य सम्पत्ति क्रय की है इस प्रकार से विवादित आराजी में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर. सी. 2001 पेज 310, आर.आर.सी. 2001 पेज 312, ए.आई.आर. 1986 पेज (एस.सी) 79, ए.आई.आर. 1985 पेज (एम.पी.73), आर.बी.जे.1995(2) पेज 55, आर.आर.टी. 2011 पेज 1264, आर.आर.टी. 1983 पेज 310, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, 324, आर.आर.डी. 2089 पेज 45, आर.आर.डी. 1994 पेज 77, आर.आर.डी. 1990 पेज 477, आर.आर.डी. 1990 पेज 479, आर.बी.जे.(15) 2008 पेज 407, उद्धरित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 526 दिनांक 14.12.2000 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया है कि दाखिल खारिज मृतक नारायण की मृत्यू के बाद उसकी विरासत का उसके बच्चों व पत्नी के पक्ष में मंजूर हुआ है। अपीलान्ट मृतक स्व. नारायण सिंह का वारिस नहीं है। इस कारण वह दाखिल खारिज संख्या 526 से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। इस कारण अपीलान्ट को ना तो इस दाखिल खारिज के विरुद्व अपील करने का अधिकार है और ना ही उसे दाखिल खारिज मंजूर करते समय सुनवाई का कोई अवसर दिया जाना चाहिये था। आज्ञा नायव तहसीलदार द्वारा सही आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने अधिकारों के निर्धारण के लिये एक नियमित दावा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में व एक दावा सिविल न्यायालय में कर दिया है। सिविल न्यायालय ने सभी साक्ष्य का विवेचन कर अपीलान्ट द्वारा किये गये दावे को खारिज कर दिया है इस प्रकार अपीलान्ट ने अपने अधिकारों के लिये नियमित वाद प्रस्तुत कर दिया हे जिसमें उसके अधिकार तय होगें। अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलान्ट के अधिकार निर्धारित नही होंगे। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है म्याद के बावत कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया, तथा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद विन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 में अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण की जानकारी हल्का

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

पटवारी से दिनांक 13.7.2015 को होना बताया है। विचाराधीन अपील 15 साल के विलम्ब से पेश की गई है। अपीलान्ट ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में हल्का पटवारी का कोई शपथ पत्र वगै. भी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों की पुष्टी होती हो। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 526 दिनांक 14.12.2000 ग्राम सेवर कलां का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14–16 में अंकित इन्द्राज से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण मृतक नारायण पुत्र ख्याली की विरासत का उसके वारिसान के (पत्नि,पुत्र व पुत्री) के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है, जिसमें तहत न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है। नामान्तकरण कार्यवाही एक समरी प्रोसिंडिग है इसमें किसी के हक हकूक तय नही किये जाते हैं। उभय पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी में हक हकूकों को लेकर सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन है। अपीलाधीन आदेश में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काविल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर